

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
3-शिक्षा निदेशक (मा0),
30प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2016

विषय:- "मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजना" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015 में मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के साथ ही 30प्र0 मदरसा परिषद तथा 30प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण "मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजना" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1268/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 18.06.2015 एवं शासनादेश संख्या-1775/ पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 11.08.2015 द्वारा निर्धारित मानक शर्तों एवं निर्देशों तथा योजना के संचालन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-1414/पन्द्रह-10-2015-47(01) /2015 दिनांक 30.06.2015, शासनादेश संख्या-1415/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 30.06.2015, संख्या-1422/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 30.06.2015 संख्या-1423/ पन्द्रह-10-2015- 47(01)/2015 दिनांक 30.06.2015 तथा जनपदवार लक्ष्य निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-2019/पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 04.09.2015 के अनुसार योजनान्तर्गत मेधावी छात्राओं को रू0 30,000/- की प्रोत्साहन धनराशि का वितरण मा0 मुख्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनपद-जालौन, मुरादाबाद एवं मिर्जापुर में किया जायेगा। शेष जनपदों में मा0 प्रभारी मंत्री/स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से सम्बन्धित मेधावी छात्राओं को योजनान्तर्गत चेक/धनराशि का वितरण कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1268/ पन्द्रह-10-2015-47(01)/2015 दिनांक 18.06.2015 के प्रस्तर-7 द्वारा प्रशासकीय व्यय मद में निर्धारित की गयी 1% की सीमा तक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का

अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पृथक से कोई धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी।

3- कृपया तदनुसार उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या- 57(1)/पन्द्रह-10-2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महा लेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, लेखा परीक्षा, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0), 30प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक, 30प्र0।
- 4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, 30प्र0। (शिक्षा निदेशक (मा0) के माध्यम से)
- 5- वित्त ई-11/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ला)

अनु सचिव